

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या ०३/१९... राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

राजस्थान सरकार जरिये

पटवारी हल्का ~~गिराठ~~

बनाम

गैरसायल
श्री. ~~रामसिंह~~ पुत्र ~~शिवसिंह~~

जाति ~~राजपूत~~ निवासी ~~शेरी~~
तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की उप./अनु. 1 पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ~~गिराठ~~ ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम ~~गोडापुरा~~ के खसरा नम्बर ~~987~~ रकबा .. ~~320-07~~ बीघा में से ~~5~~ बीघा किरम ~~शिवसिंह~~ राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलाब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि ~~रुपये 5000~~ अक्षर ~~पञ्चास~~ रूपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

टी. आर. ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी. आर. ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक ~~27-05-19~~ को सरेआम सुनाया गया।


तहसीलदार गडरारोड़
तहसीलदार गडरारोड़

जुमाना ~~125~~ फसल नि. ~~3200/-~~
कुल योग ~~3325/-~~ जि.के पृष्ठ सं. ~~24~~
दि. ~~20/3/20~~ में इन्द्राज किया गया :


तहसीलदार गडरारोड़